प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

*कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3* *लखनऊ: दिनाक: 19-10-2022*

विषय- जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र शुक्ला उर्फ नीलू शुक्ला पुत्र श्री श्याम नारायण शुक्ला, निवासी म0नं0-आर/127/108, यू0 ब्लाक, निराला नगर, थाना-किदवई नगर, जनपद-कानपुर नगर को माता के उपचार हेतु स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) में वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1569/जि0मजि0/जि0प्रो0का0/बंदी पैरोल/2022-23, दिनांक 29-08-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र शुक्ला उर्फ नीलू शुक्ला पुत्र श्री श्याम नारायण शुक्ला, निवासी जनपद-कानपुर नगर को शासनादेश संख्या-I/211408/2022 फाइल नं0-22-3016(099)/89/2022, दिनांक 09-09-2022 के क्रम में एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।